न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 1014/2018

नानू उर्फ श्रीनारायण पुत्र गणेश दत्तक पुत्र कल्याण, जाति अहीर, निवासीः चनाणियों की ढाणी, ग्राम श्योसिंहपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. जमना देवी पत्नि श्रीनारायण, जाति अहीर, निवासीः लक्ष्मीपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2. रामजीलाल पुत्र कल्याण (मृतक दौराने अपील)
   - 2/1 श्रीमती मोहिनी पत्नि श्री कन्हैयालाल पुत्री स्व. श्री रामजीलाल, जाति अहीर, निवासीः शिवगंज कॉलोनी, यादव मैरिज गार्डन के पास, ब्यावर, जिला अजमेर।
   - 2/2 श्रीमती संतोष पत्नि श्री बाबूलाल पुत्री स्व. श्री रामजीलाल जाति अहीर, निवासीः शिवगंज कॉलोनी, यादव मैरिज गार्डन के पास ब्यावर, जिला अजमेर।
   - 2/3 श्रीमती कल्पना पत्नि श्री राजेन्द्र पुत्री स्व. श्री रामजीलाल, जाति अहीर, निवासीः शिवगंज कॉलोनी, यादव मैरिज गार्डन के पास ब्यावर, जिला अजमेर।
   - 2/4 श्री सुरेश यादव पुत्र स्व. श्री रामजीलाल, जाति अहीर, निवासीः यू.आई.टी. कॉलोनी, मदार, जिला अजमेर।
3. शंकरलाल पुत्र कल्याण, जाति अहीर, हाल निवासीः वार्ड नंबर 5, ढाणी ईसाईयान, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा, मुख्य सांभरलेक, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर वाद संख्या 12/2016 उनवानी जमना देवी बनाम रामजीलाल अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री नरेश कुमार जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री चंदन सिंह एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

एवम्

अपील संख्या : 343/2019

जमना देवी पत्नि श्रीनारायण, जाति अहीर, निवासीः लक्ष्मीपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

—अपीलार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

बनाम

1. नानू उर्फ श्रीनारायण पुत्र गणेश दत्तक पुत्र कल्याण, जाति अहीर, निवासीः चनाणियों की ढाणी, ग्राम श्योसिंहपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2. पोखर पुत्र गणेश
3. घीसालाल पुत्र रामकरण
4. कैलाश चन्द पुत्र रामकरण
5. नाथूराम पुत्र रामचन्द्र
6. तुलसीराम पुत्र रामकरण
7. नेपाली देवी पुत्री रामकरण
8. हरिनारायण पुत्र सोनपाल उर्फ श्योनारायण
9. हनुमान पुत्र सोनपाल उर्फ श्योनारायण
10. ओमप्रकाश पुत्र सोनपाल उर्फ श्योनारायण
    समस्त जाति यादव निवासीः श्योसिंहपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
11. तहसीलदार तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर वाद संख्या 112/2018 उनवानी नानू उर्फ श्रीनारायण बनाम पोखर व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री चंदन सिंह एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री रामचन्द्र यादव एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री बनवारी लाल शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ल. 10
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 02.03.2020

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील वाद संख्या 12/2016 बउनवानी जमना देवी बनाम रामजीलाल में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 08.09.2018 एवं एक अन्य अपील वाद संख्या 112/2018 बउनवानी नानू उर्फ श्रीनारायण बनाम पोखर व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 03.06. 2019 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 12/2016 बउनवानी जमना देवी बनाम रामजीलाल के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खाता नंबर 222 की आराजीयात खसरा नंबर 259 लगायत 274, 280, 286 लगायत 293 कुल किता 25 कुल रकबा 101 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम नरायना, तहसील सांभर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादिया का पति श्री नारायण पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

कल्याण 1/4 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार था जो श्रीनारायण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रय की थी, तब से श्रीनारायण व वादिया जो पति पत्नि थे काबिज काश्त चले आ रहे थे और श्री नारायण के स्वर्गवास बाद वादिया जो उसकी विधवा है उक्त आराजी पर उसके छोडे हुये 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही है। वादीया मृतक श्रीनारायण की पत्नि थी और वादिया व श्रीनारायण के मध्य हिन्दू रिति रिवाजनुसार विवाह सम्पन्न हुआ था, दोनो के संपर्क से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुयी और उक्त श्रीनारायण के स्वर्गवास के बाद इसके छोडे हुये 1/4 हिस्से की आराजी की वादिया मृतक श्रीनारायण की पत्नि होने के कारण उसके हिस्से की फौती नामान्तकरण खुलाने की अधिकारिणी है। वादिया अपने पति श्रीनारायण के स्वर्गवास के बाद ग्राम लक्ष्मीपुरा में पुनः विवाह कर कालूराम के साथ रहने लगी है और अपने पति की छोडी हुयी 1/4 हिस्से की आराजी अपने जेठ रामजीलाल व देवर शंकरलाल को काश्त हेतु बता दी और श्रीनारायण के छोडे हुये 1/4 हिस्से की खातेदारी वादिया ने अपने नाम खुलाने हेतु पटवारी हल्का को निवेदन कर दिया था जिस पर पटवारी ने फौती नामान्तकरण खोलेने का आश्वासन दे दिया। वादिया मृतक श्रीनारायण की विवाहित पत्नि होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उसके 1/4 हिस्से की फौती नामान्तकरण खुलाने की काश्तकारी प्रावधानों के अनुसार हकदार है। वादिया जब पटवारी हल्का के पास अपने पति की छोडी हुई 1/4 हिस्से की आराजी का फौती नामान्तकरण की जानकारी करने गयी तो ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण अपने भाई श्री नारायण के वारिस बनकर उसके छोडे हुये 1/4 हिस्से का नामान्तकरण खुलाने का आवेदन कर दिया और वादिया को उसके पति की छोडी हुयी आराजी से वंचित करने पर उतारू है। इस पर वादिया अपने जेठ/देवर प्रतिवादीगण से संपर्क कर श्रीनारायण के छोडे हुये हिस्से का नामान्तकरण बाबत कहा तो उन्होने अपने नाम नामान्तकरण खुलाने की धमकी दी व वादिया के अधिकारों से इंकार किया। इस कारण यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी/स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर घोषणा इस आशय की जावे कि खाता नंबर 222 की आराजीयात खसरा नंबर 259 लगायत 274, 280, 286 लगायत 293 कुल किता 25 कुल रकबा 101 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम नरायना, तहसील सांभर जिला जयपुर में स्व. श्रीनारायण पुत्र कल्याण की वादिया विवाहिता पत्नि होने के कारण उसके छोडे हुये 1/4 हिस्से की एकमात्र खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि विवादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के 1/4 हिस्से में कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में मजाहमत न करे, न बेदखल करे न अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 08.09.2018 को वादिया का वाद स्वीकार कर लिया।

3. अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक अन्य वाद संख्या 112/2018 बउनवानी नानू उर्फ श्रीनारायण बनाम पोखर व अन्य के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू पेरिवार के सदस्य है। आराजी खाता नंबर नया 248 पुराना 1069 की आराजी खसरा नंबर 264, 265, 266, 267,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

268, 269, 270, 280, 186, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 5689/262, 5699/263, 5700/271 एवं 5701/273 कुल किता 20 कुल रकबा 83 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित है। इसी प्रकार उपरोक्त संपूर्ण आराजीयात में वादी 1/4 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार है और गणेश का जायंदा पुत्र है। कल्याण ने वादी को गोद ले लिया और उसके जीवनकाल तक वादी कल्याण के पास रहकर उसकी सेवा सुश्रुषा की ओर उसके मरणोपरांत जायंदा पुत्र के समान उसका क्रियाकर्म आदि मरणोपरांत समस्त कार्य वादी द्वारा सम्पन्न कराये। वादी को बचपन में नानू कहते थे, वादी को बचपन में ही दो नामों से नानू एवं श्रीनारायण पुकारते थे इसलिये उक्त आराजी को वादी ने जब क्रय की तब श्रीनारायण पुत्र कल्याण दर्ज हो गया और बाकी दस्तावेजों में नानू उर्फ गणेश दर्ज हो गया किन्तु नामकरण के समय नानूराम रखा गया। इस प्रकार वादी को नानू उर्फ श्रीनारायण पुत्र गणेश दत्तक पुत्र कल्याण जाति यादव के नाम से जाना जाता है। नानू एवं श्रीनारायण दोनो नाम वादी से ही संबंधित है, दोनों नामों का एक ही व्यक्ति है एवं गणेश का जायंदा पुत्र है एवं कल्याण का दत्तक पुत्र है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी श्री नारायण पुत्र कल्याण, पोखर पुत्र गणेश हि. 1/2 अंकित है। वादी के पहचान पत्र व दस्तावेजो में नानू पुत्र गणेश के नाम से ही है। गणेश वादी का प्राकृतिक पिता है इस प्रकार उक्त आराजी में वादी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, उक्त आराजी वादी ने सन् 1960 में क्रय की है जिसमें उसका नाम श्रीनारायण पुत्र कल्याण दर्ज है और इसी अनुसार वर्तमान में भी राजस्व रिकॉर्ड में श्री नारायण पुत्र कल्याण दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी कल्याण का दत्तक पुत्र है एवं गणेश का जायंदा पुत्र है एवं वादी को नानू एवं श्रीनारायण दोनो नाम से पुकारा जाता है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में श्री नारायण पुत्र गणेश दर्ज चला आ रहा है, के स्थान पर नानू उर्फ श्रीनारायण पुत्र गणेश दत्तक पुत्र कल्याण दुरूस्त होना व इसी अनुसार खातेदार घोषित होना आवश्यक है। वादी ने जब पटवारी हल्का एवं तहसीलदार फुलेरा को राजस्व रिकॉर्ड में श्री नारायण पुत्र गणेश की बजाय नानू उर्फ श्रीनारायण पुत्र गणेश दत्तक पुत्र कल्याण दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो उन्होने सक्षम न्यायालय में घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज की सलाह दी इस कारण यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर घोषणा इस आशय की जावे कि खाता नंबर नया 248 पुराना 1069 की आराजी खसरा नंबर 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 280, 186, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 5689/262, 5699/263, 5700/271 एवं 5701/273 कुल किता 20 कुल रकबा 83 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में वादी 1/4 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में श्रीनारायण पुत्र कल्याण के स्थान पर नानू उर्फ श्रीनारायण पुत्र गणेश दत्तक पुत्र कल्याण को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरूस्ती इन्द्राज किये जाने की डिक्री पारित की जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 03.06.2019 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया। उपरोक्त निर्णयों से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

4. न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दोनो अपीलों पर एक साथ बहस समायत की गई। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अपील संख्या 1014/2018 में वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उसके पति की मृत्यु हो जाना बताया है जबकि अपीलार्थी जीवित है। अपीलार्थी का रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों की जांच कर एवं तहसीलदार फुलेरा से इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट्स के कथनों पर विश्वास कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो गलत है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2018 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गहन परीक्षण पश्चात् समस्त साक्ष्य सबूत के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी ने आधारहीन तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

इसी प्रकार अपील संख्या 343/2019 में वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों पर आधारित वाद प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद पत्र में कल्याण को नाऔलाद फौत होना बताया है जबकि वास्तविकता में कल्याण के तीन पुत्र श्रीनारायण, रामजीलाल एवं शंकरलाल थे। नारायण पुत्र कल्याण नाऔलाद फौत हुआ है एवं अपीलान्ट जमना देवी नारायण की विधवा है एवं उसके 1/4 हिस्से पर अपीलान्ट का हक अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों की जांच कर एवं तहसीलदार फुलेरा से इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट्स के कथनों पर विश्वास कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो गलत है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2019 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि कल्याण ने रेस्पोडेन्ट को गोद लिया है एवं कल्याण के समस्त कार्य रेस्पोडेन्ट ने ही किये है। रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गहन परीक्षण पश्चात् समस्त साक्ष्य सबूत के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी ने आधारहीन तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

5. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में वाद संख्या 12/2016 बउनवानी जमना देवी बनाम रामजीलाल को दिनांक 08.09.2018 को निर्णय डिक्री किया गया एवं उक्त विवादग्रस्त आराजीयात से संबंधित एक अन्य वाद संख्या 112/2018 बउनवानी नानू उर्फ श्रीनारायण बनाम पोखर व अन्य को दिनांक 03.06.2019 को निर्णय डिक्री किया गया। उक्त दोनो दावों की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पृथक-पृथक प्रस्तुत हुई है किन्तु उक्त दोनों प्रकरणों की विवादग्रस्त भूमि एकसमान होने से उक्त दोनो अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

अपील संख्या 1014/18 का विवेचन इस प्रकार है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार विवादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्सा श्री नारायण पुत्र कल्याण के नाम दर्ज है जिसकी घोषणा बाबत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 12/2016 के द्वारा वादिया जमना देवी द्वारा श्रीनारायण को मृतक बताकर स्वयं को उसकी पत्नि बताते हुये एकमात्र वारिस होने के आधार पर श्रीनारायण की सम्पत्ति की घोषणा स्वयं के हक में चाही गई जिसमें वादिया द्वारा दावे में प्रतिवादीगण द्वारा श्रीनारायण के हिस्से का नामान्तकरण स्वयं के हक में खुलवाने की धमकी दिये जाने पर वाद कारण उत्पन्न होना बताया। जिसके पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में दावे के समस्त कथनों को स्वीकार कर दावा वादिया के पक्ष में डिक्री करने की सहमति प्रदान की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों एवं सबूतों से वारिसान की पुष्टि किये बिना एवं पक्षकारान की सम्यक जांच किये बिना ही मात्र दावे के कथनों का प्रतिवादीगण के जवाबदावा के माध्यम से स्वीकारोक्ति के आधार पर वादिया का वाद डिक्री कर दिया। वादिया स्वयं ने दावा में श्रीनारायण की मृत्यु लगभग वर्ष 1965 में होना बताते हुये श्रीनारायण की मृत्यु उपरान्त अन्यत्र ग्राम लक्ष्मीपुरा में अन्यत्र व्यक्ति के नाते जाने के तथ्य वर्णित किये है। उक्त तथ्यों की प्रमाणिकता बाबत वादिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे कि यह साबित हो कि वादिया श्री नारायण की पत्नि है एवं प्रतिवादीगण कल्याण के पुत्र है। वादिया के तथ्य कि वादिया के श्रीनारायण की मृत्यु उपरान्त अन्यत्र जगह नाते जाकर पुनः विवाह कर लिया को सत्य मान भी लिया जावे तो भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 24 जो कि दिनांक 09.09.2005 से पूर्व इस प्रकार से थी कि " यदि उत्तराधिकार खुलने की तारीख पर विधवा पुनः विवाहिता हो तो वह निवर्सीयती की सम्पत्ति में ऐसी विधवा होने के नाते उत्तराधिकार पाने की हकदार नहीं होगी। " अर्थात दिनांक 09.09.2005 से पूर्व कोई व्यक्ति निवर्सीयती फौत हो जाता है एवं उसकी पत्नि द्वारा पुनः विवाह कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह महिला मृत व्यक्ति की विरासत की हकदार नहीं होगी। वर्तमान प्रकरण में भी वादिया के कथनानुसार श्रीनारायण की मृत्यु दिनांक 09.09.2005 से पूर्व वर्ष 1965 में बताई गई है जिससे श्रीनारायण की मृत्यु के दिन उक्त धारा 24 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पूर्ण रूप से प्रभावी एवं लागू थी। जिससे वादिया के उक्त कथनानुसार भी वादिया श्रीनारायण की सम्पत्ति प्राप्त करने की कतई हकदार नहीं पायी जाती है बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर बिना कोई विवेचन किये गौण रहते हुये गलत रूप से वादिया को खातेदारी प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह साबित पाया जाता है कि वादिया द्वारा प्रतिवादीगण से दूरभि संधि करते हुये विवादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये एवं निराधार तथ्यों के आधार पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाया गया है। न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एवं प्रकरण के तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रकरण के वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य पाया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाकर वादिया के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

अपील संख्या 343/2019 का विवेचन इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती बाबत वादी नानूराम उर्फ श्रीनारायण पुत्र गणेश दत्तक पुत्र कल्याण द्वारा दावा संख्या 112/2018 प्रस्तुत किया जिसमें वादी द्वारा कल्याण के नाऔलाद फौत होने के तथ्य वर्णित किये गये एवं स्वयं को कल्याण का दत्तक पुत्र होना बताया गया एवं वादी ने स्वयं को श्रीनारायण व नानूराम दोनो नामों से पुकारे जाने के तथ्य वर्णित कर राजस्व रिकॉर्ड में नानू उर्फ श्रीनारायण पुत्र गणेश दत्तक पुत्र कल्याण की दुरूस्ती चाही गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की जाकर गवाहो के साक्ष्य शपथ पत्रों पर गवाहों की मुख्य परीक्षा ली गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद साक्ष्य शपथ पत्र जयकुमार पुत्र नारायण उम्र 65 वर्ष, चौथमल पुत्र झूंथाराम उम्र 65 वर्ष, भूराराम पुत्र झूंथाराम उम्र 80 वर्ष, सूजाराम वर्मा पुत्र कालूराम उम्र 70 वर्ष, रामदेव जाट पुत्र पदमाराम उम्र 72 वर्ष के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त गवाहान के द्वारा वादी के कथनों की पुष्टि एवं वादी को नानू उर्फ श्रीनारायण दो नामों से पुकारे जाने वाले तथ्य एवं वादी के प्राकृतिक पिता गणेश एवं वादी को कल्याण द्वारा बचपन में गोद लिये जाने से कल्याण का दत्तक पुत्र होने के तथ्यों का एवं विवादग्रस्त आराजीयात पर वादी के काबिज काश्त होने के तथ्यों को प्रमाणित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांक 14.02.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौका फर्द रिपोर्ट बनाई गई जिसमें कल्याण पुत्र जोधाराम के विवाहित नाऔलाद फौत होने एवं कल्याण की पत्नि बिदामी देवी कल्याण के फौत हो जाने के पश्चात् अन्य के साथ नाते जाने के तथ्य एवं वादी नानूराम उर्फ श्रीनारायण कल्याण पुत्र जोधाराम के गोद जाने के तथ्यों को वर्णित किया है। मौका फर्द रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की प्रमाणिकता स्वरूप ग्राम के मौजिज व्यक्तियों द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी की गई है। श्रीनारायण पुत्र कल्याण की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का कुछ रकबा रेल्वे कॉरिडोर हेतु अवाप्त किया गया था जिसके मुआवजे का चैक बाबत विनोद कुमार आसमानी पुत्र खेमचंद जाति सिन्धी द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि नानूराम पुत्र गणेश द्वारा फर्जी तरीके से चैक अपने खातें में लिया जाकर दुरूपयोग किया जा रहा है। जिस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया जिसमें भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा भी प्रकरण के समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुये अपने निर्णय के विवेचन में श्रीनारायण एवं नानूराम दत्तक पुत्र कल्याण निवासीः श्योसिंहपुरा को एक ही व्यक्ति होना माना है जिसको मुआवजे का चैक लेने का पूर्ण अधिकारी बताया है एवं बैंक द्वारा नानूराम उर्फ श्रीनारायण दत्तक पुत्र कल्याण को भूमि के मुआवजे का भुगतान होना सही बताया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजात पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निर्मित मौका रिपोर्ट दिनांक 03.10.2015, पंचायत समिति दूदू द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 01.05.2015, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.05.2019, पोथी–वंशावली रिपोर्ट (जिससे वाद में प्रस्तुत सजरे खानदान की पूर्णतः पुष्टि होती है), ग्राम के मौजिज व्यक्तियों के शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजात से नानूराम एवं श्रीनारायण दोनो एक ही व्यक्ति के नाम होने एवं कल्याण का दत्तक पुत्र व गणेश का पुत्र होने के तथ्य प्रमाणित पाये जाते है। न्यायालय हाजा के समक्ष वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत

Scanned with CamScanner

समस्त दस्तावेजात, तथ्यों एवं वकील पक्षकारान की बहस पर मनन उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नानूराम एवं श्रीनारायण पुत्र गणेश दत्ताक पुत्र कल्याण एक ही व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपने विवेक अनुसार सही निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी तथ्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं होने से मैं इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता उचित नहीं समझता हूँ। फलस्वरूप मेरे द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 1014/2018 स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 12/2016 बउनवानी जमना देवी बनाम रामजीलाल में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 08.09.2018 खारिज किया जाकर वादिया जमना देवी के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाते है एवं अपील संख्या 343/2019 खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 112/2018 बउनवानी नानू उर्फ श्रीनारायण बनाम पोखर व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 03.06.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner